भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1364
उत्तर देने की तारीख: 09.02.2023

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

1364. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ऋण संवितरित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पीएमईजीपी के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क और ख): प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में युवाओं को ऋण संवितरित किए जा रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका लक्ष्य व्यापक क्षेत्र में विस्तृत परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं को एकजुट करना है और इन्हें उनको अपने निवास स्थान पर ही यथासंभव स्व-रोज़गार अवसर प्रदान करना है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रु. है।

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित बैंक ऋण का ब्यौरा **अनुबंध** में है।

ग) सरकार ने पीएमईजीपी के अंतर्गत, लक्ष्य हासिल करने के लिए निम्नवत पहलें की हैं:

i. आवेदन जमा करने के लिए आवेदकों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने हेतु केवीआईसी के विभिन्न कार्यालयों में विपणन, बैंकिंग और तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है।

ii. भावी उद्यमियों की सहायता हेतु दो दिनों का नि:शुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) संचालित किया जा रहा है।

iii. व्यवसाय प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान करने हेतु विनिर्माण और सेवा के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके केवीआईसी द्वारा रविवार वेबिनारों का आयोजन भी किया जा रहा है।

iv. पशुपालन के अंतर्गत और कार्यकलापों को शामिल करने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यकलापों का विस्तार किया गया है।

v. मंत्रालय ने ऐसे कुछ जिलों को चिह्नित किया है जहां से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे जिलों में जागरुकता बढ़ाने के लिए, पीएमईजीपी स्कीम, इसके लाभों और आवेदन कैसे करें जैसी जानकारी के प्रसार हेतु ग्रामीण डाकखानों के साथ विशेष समझौते किए गए हैं।

vi. मंत्रालय और केवीआईसी बैंकों से नियमित समन्वय भी कर रहे हैं ताकि विशेष रूप से छोटे-मोटे कारणों से खारिज किए जाने वाले आवेदनों की मात्रा में कमी लाई जा सके।

****

अनुबंध

अनुबंध: दिनांक 09.02.2023 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1364 के भाग (क और ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक राज्य-वार संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित बैंक ऋण

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019-20		2020-21		2021-22	
		मार्जिन मनी (रु. लाख में)	अनुमानित बैंक ऋण (रु. लाख में)	मार्जिन मनी (रु. लाख में)	अनुमानित बैंक ऋण (रु. लाख में)	मार्जिन मनी (रु. लाख में)	अनुमानित बैंक ऋण (रु. लाख में)
I. पूर्वी क्षेत्र							
1	जम्मू और कश्मीर	11142.86	30085.72	18306.28	49426.96	46713.54	126126.56
2	लद्दाख	0.00	0.00	1168.41	3154.71	1182.31	3192.24
3	हिमाचल प्रदेश	3229.32	8719.16	3381.10	9128.97	3550.95	9587.57
4	पंजाब	3914.83	10570.04	5008.66	13523.38	6017.86	16248.22
5	छत्तीसगढ़ – केंद्र शासित प्रदेश	28.71	77.52	16.00	43.20	62.08	167.62
6	हरियाणा	4938.21	13333.17	5512.55	14883.89	6093.33	16451.99
7	दिल्ली	110.63	298.70	147.61	398.55	315.23	851.12
8	राजस्थान	8171.88	22064.08	8806.83	23778.44	9025.60	24369.12
II केंद्रीय क्षेत्र							
9	उत्तराखंड	3440.03	9288.08	4536.62	12248.87	3983.20	10754.64
10	उत्तर प्रदेश	**21648.00**	**58449.60**	**32985.38**	**89060.53**	**41165.07**	**111145.69**
11	छत्तीसगढ़	6098.28	16465.36	6062.77	16369.48	6941.44	18741.89
12	मध्य प्रदेश	8063.63	21771.80	13807.82	37281.11	20961.46	56595.94
III. पूर्वोत्तर क्षेत्र							
13	सिक्किम	174.56	471.31	152.28	411.16	214.27	578.53
14	अरुणाचल प्रदेश	363.79	982.23	232.63	628.10	788.88	2129.98
15	नागालैंड	2650.24	7155.65	2045.47	5522.77	2494.89	6736.20
16	मणिपुर	2036.30	5498.01	5899.03	15927.38	3337.25	9010.58
17	मिजोरम	1083.78	2926.21	1412.46	3813.64	1461.76	3946.75
18	त्रिपुरा	1835.39	4955.55	1829.57	4939.84	2083.70	5625.99
19	मेघालय	569.17	1536.76	579.65	1565.06	974.17	2630.26
20	असम	3557.78	9606.01	4948.48	13360.90	6659.71	17981.22
IV. पूर्वी क्षेत्र							
21	बिहार	6950.67	18766.81	7208.74	19463.60	8169.92	22058.78
22	पश्चिम बंगाल	8487.40	22915.98	7425.32	20048.36	8539.63	23057.00
23	झारखंड	3749.79	10124.43	3847.80	10389.06	4188.27	11308.33
24	ओडिशा	7816.86	21105.52	8748.07	23619.79	11335.95	30607.07
25	अंडमान और निकोबार	146.16	394.63	186.12	502.52	238.69	644.46
V. पश्चिम क्षेत्र							
26	गुजरात	28740.29	77598.78	20637.05	55720.04	28704.84	77503.07
27	महाराष्ट्र	11219.47	30292.57	8844.29	23879.58	13018.54	35150.06
28	गोवा	244.36	659.77	156.65	422.96	298.22	805.19

VI. दक्षिण क्षेत्र							
29	आंध्र प्रदेश	9024.23	24365.42	6866.30	18539.01	10088.80	27239.76
30	तेलांगाना	7118.89	19221.00	6376.33	17216.09	9846.14	26584.58
31	कर्नाटक	10681.14	28839.08	12504.26	33761.50	15843.36	42777.07
32	लक्षद्वीप	0.00	0.00	15.36	41.47	17.50	47.25
33	केरल	5322.79	14371.53	5225.88	14109.88	6859.29	18520.08
34	तमिलनाडु	12405.45	33494.72	13881.57	37480.24	16445.76	44403.55
35	पुदुचेरी	117.26	316.60	116.81	315.39	144.30	389.61
	कुल	**195082.15**	**526721.81**	**218880.15**	**590976.41**	**297765.91**	**803967.96**